कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2020/ 3989 कांकेर, दिनांक 27/05/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी
(चिप्स) सिविल लाईन रायपुर

विषय – Diversion of forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for BharatNet Phace-II Kanker Division "BharatNet Project which is a GOI initiative, Under this Project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 Km. The laying of Optical fiber cabla of 32,466 Km Will be involve 26 Districts across the State" Area-4.53 ha.
पंजीयन क./FP/CG/OFC/42451/2020

संदर्भ – 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) रायपुर के कार्यालयीन पत्र क. /115–836/870 दिनांक 11.05.2020।

2.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर के कार्यालयीन पत्र क. 2789 दिनांक 13.05.2020।

– –00– –

विषयांतर्गत लेख है कि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् आपके द्वारा कांकेर वनमण्डल के चारामा, नरहरपुर, सरोना, कांकेर वन भूमि के रकबा 4.530 हे. में ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार कर आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति हेतु वरिष्ट कार्यालय को प्रेषित की गई थी, प्रकरण के अवलोकन करने पर वरिष्ट कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के तहत् 8 बिन्दुयों पर आपत्ति लगाई गई है।

अतः 8 बिन्दुयों का निराकरण करते हुये जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न – संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वन मण्डल कांकेर

Received E-Mail 11-05-2020
R.No. .... Date ....
Signature

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–826/870

नया रायपुर, दिनांक 11/05/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
छत्तीसगढ़

1616
12-5-2020

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanker Division "Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.530 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42451/2020

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र. 138/ 2020 / 694 दिनांक 19.03.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गई है:–

1. Form A Part-II के कालम नं. 4 निरंक है।
2. Form A Part-II के कालम नं. 16 के पार्ट–2 में कुल वन क्षेत्र 4.144 हे. अपलोड किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, उक्त रकबा को सुधार कर 4.53 हे. किया जाकर ऑन लाईन अपलोड किया जाना होगा।
3. वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है।
4. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–02/ 2020/ 10–2 दिनांक 16.04.2020 से ओ.एफ.सी. लाईन के एक अन्य प्रकरण में कमियों को उल्लेख करते हुए प्रकरण मूलतः वापस कर दिया गया है।
5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधि प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिन्दु क्रमांक ए (ग्राम सभा कार्यवाही विवरण) तथा बी (ग्राम सभा की अनुशंसा) संबंधि जानकारी में "Not Applicable" लिखा है।
   भारत सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक एफ 11–9/98–एफ सी (पीटी) दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linear प्रकरणो हेतु Form – I निर्धारित है तथा इस Form – I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्राम सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।
6. संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतो के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होने का लेख किया गया हैं। उक्त बाबत् स्थिति स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12.02.2010 का उल्लेख आवरण पत्र में है, जिसकी छाया प्रति भेजी जावे।

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
11/5

7. प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित कांकेर वन मंडल में अलग–अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनो से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा 4.530 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।

उक्त त्रुटि इस प्रकरण में भी परिलक्षित हो रही है, जो निम्नानुसार हैः–

(i) प्रत्येक ओ.एफ.सी. लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) प्रत्येक ओ.एफ.सी. लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा नहीं दर्शाया गया है।

8. चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिन्दु, प्रस्ताव का पुष्ठ उल्लेख करते हुए टीप दी जावे।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 16.04.2020 की एक पृष्ठीय छाया प्रति।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 826/ 871 रायपुर, दिनांक 11/05/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़